

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

सुप्रीम

विपक्षी

ब्रह्मप्राज

मुकदमा

ज.प.ज

पत्रावली संख्या

सन्

मांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर
सूचनाएँ


24.6.24

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण का मूल वाद नोटबुल अखित करने पर खासि हो चुका है जिसके हस्तगत प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः जर्जन पत्र ~~के~~ कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से इसी स्तर पर खारिज किया जाय है निर्णय से उजलात

सुनामा अर्थात्

प्रकरण कैसल सुमा केस नम्बर से अय हो।


(रिया डानी)
DAS